<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 166 / 12</u> <u>संस्थापन दिनांक :- 02 / 04 / 12</u> फाईलिंग नं. 233504000672012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्व

मन्टू उर्फ अनिल पिता श्रावण कुंबी उम्र 20 वर्ष, निवासी कुंबी मोहल्ला आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 21.11.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 02. 04.2012 को समय 07:00 बजे या उसके लगभग जे.एस. कॉलेज के पीछे आमला में लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार तलवार जिसकी लंबाई 38 इंच, चौड़ाई 1½ इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 02.04. 2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि रतेज़ा रोड में अभियुक्त अपने हाथ में लोहे की धारदार तलवार लिए घूम रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां अभियुक्त उसे तलवार लिए मिला जिसे घ राबंदी कर पकड़ा। अभियुक्त ने तलवार रखने बाबत कोई लायसेंस नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की तलवार जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 126/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.04.2012 को समय 07:00 बजे या उसके लगभग जे.एस. कॉलेज के पीछे आमला में लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार तलवार जिसकी लंबाई 38 इंच, चौड़ाई 1½ इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22. 11.74 का उल्लंघन किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 आर.के. दुबे (अ.सा.—1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 02.04. 2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की तलवार लिए मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा अभियुक्त द्वारा तलवार रखने का लायसेंस न होने के कारण अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की तलवार जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 126 / 12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी।
- 6 साक्षी जगदीश (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में वर्ष 2012 में थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना प्रभारी आरके दुबे के साथ सूचना मिलने पर जे.एस. कॉलेज जाना जहां अभियुक्त तलवार लेकर घम रहा था जिसे हमराह स्टाफ पकड़कर मय तलवार के थाना लेकर आना प्रकट किया है।
- 7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी लालू एवं अखलेश के अदम पता हो जाने के कारण उक्त साक्षीगण की साक्ष्य न्यायालय में अंकित नहीं की जा सकी है। अभिलेख पर आर.के दुबे (अ.सा.—1) एवं जगदीश (अ.सा.—2) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की साक्ष्य के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त

साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

- 8 आर.के. दुबे (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में मुख्य परीक्षण में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचना और घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़कर उससे तलवार जप्त किया जाना एवं गिरफ्तार करने के उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। जगदीश (अ.सा.—2) ने सूचना मिलने पर थाना प्रभारी के साथ जाना बताया है तथा अभियुक्त को तलवार के साथ थाना वापस लाकर थाना प्रभारी के द्वारा कार्यवाही करना बताया है।
- 9 आर.के. दुबे (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जब वे मौके पर पहुंचे तब बहुत सारे लोग थे परंतु अभियुक्त किन्हें डरा रहा था उनके नाम नहीं लिखे। इस सुझाव को सही बताया है कि जप्ती पत्रक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि तलवार की नाप किससे की गयी थी। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि साक्षी अखलेश और लालू को घटना स्थल पर साथ लेकर गये थे। प्रकरण में रोजनामचा रवानंगी और वापसी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जगदीश (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी थी। उसके समक्ष थाना प्रभारी ने अभियुक्त से तलवार जप्त की और उसे गिरफतार किया था।
- 10 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी—2) में अपराध कमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। जप्ती पत्रक में जप्ती का समय 7 बजे लेख है तथा गिरफ्तारी पत्रक में गिरफ्तारी का समय 7.10 बजे लेख है। मात्र 10 मिनट में मौके पर अभियुक्त से तलवार जप्त करना, उसकी नापजोप करना तत्पश्चात उसे मौके पर ही सीलबंद करना असंभव नहीं परंतु अस्वाभाविक अवश्य है। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही विवेचक साक्षी आर.के. दुबे (अ.सा. —1) के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि जप्तशुदा आयुध की नाप किससे की गयी थी। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कथित आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।
- 11 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 02.04.2012 को समय 07:00 बजे या उसके लगभग जे.एस. कॉलेज के पीछे आमला में लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार तलवार जिसकी लंबाई 38 इंच, चौड़ाई 1½ इंच को अपने आधिपत्य में

रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त मन्दू उर्फ अनिल को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 12 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की तलवार अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)